FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आज अदालत—जिला कलक्टर मुकाम : दौसा।

कल्लूराम बनाम राज0 सरकार आदि

किस्म मुकदमा—प्रा0पत्र अंतर्गत आदेश 47 नियम 1 व 2 नम्बर 38 सन्— 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.6.2025	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी ने रिव्यु प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि माननीय न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र स्थगन आदेश के लिए प्रस्तुत किया गया था जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 7.5.2025 को खारिज फरमा दिया। उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में अंकन किया है कि उक्त आदेश का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि " अधिवक्ता प्रार्थी की स्थगन प्रा0पत्र पर बहस सुनी गई। स्थगन प्रार्थना पत्र एवं मूल नामा. अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का कथन है कि दिनांक 28.2.2022 को पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में उक्त खसरा नंबर पर कोई अतिक्रमण नहीं बताया है।सैटलमेंट की टीम ने भी खसरा नंबर 892 की पैमाईश में भी अतिक्रमी का कोई अतिक्रमण नहीं बताया है। पूर्व हल्का पटवारी रामभजन मीना ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 4.4.2025 को उपस्थित होकर बताया कि उक्त खसरा नंबर पर कल्लूराम मीना का कोई अतिक्रमण नहीं है और दिनांक 14.6.2022 को खसरा नंबर 892 के सीमाज्ञान में अतिक्रमण नहीं पाया गया है। सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.2.2022 को पत्रावली में संलग्न नहीं की गई है। अतः इस संबंध में प्रार्थी के कथन को स्वीकार किया जाना उचित नहीं है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 14.6.2022 की मौका पर्चा सीमाज्ञान संलग्न की गई है जिसमें अतिक्रमण के संबंध में कोई टिप्पणी पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं है। तहसीलदार भांडारेज के आदेश में रिपोर्ट दिनांक 4.1.2024 एवं 21.4.2025 का उल्लेख किया गया है जिसमें उक्त खसरा नंबर पर पक्की दुकान बनाकर अतिक्रमण का उल्लेख किया गया है। उक्त दोनो ना तो प्रार्थी द्वारा पत्रावली में संलग्न की गई है ना ही उसके संबंध में कोई कथन किया गया है। अतः मूल दस्तावेज जिसके आधार पर अधोहस्ताक्षरकर्ता यह तय करते कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षतिप्रार्थी के पक्ष में है, प्रार्थी द्वारा नहीं लगाये गये है। अतः उक्त तीनों बिन्दु प्रार्थी के विपक्ष में तय किये जाते है। अतः प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज फैसल होकर मूल अपील के संलग्न रहे।" उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह रिव्यु प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थी ने मूल पत्रावली में दिनांक 28.2.2022 की हलका पटवारी रामभजन मीना की मौका रिपोर्ट पेश की गई है और हल्का पटवारी ने अपरीन रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि कल्लूराम मीना का ग्राम कालाखो खसरा नंबर 892 पर कोई अतिक्रमण नहीं है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 893 में निर्माण कार्य किया है और हल्का पटवारी रामभजन मीना ने अपीन रिपोर्ट दिनांक 28.2.2022 में भी यही अंकित [illegible] कल्लूराम मीना अपनी खातेदारी भूमि में निर्माण कर रहा है और [illegible] ने मौखिक रूप से आदेश दिया था कि आप उक्त निर्माण [illegible] का [illegible] नहीं करायें और वाणिज्य उपयोग नहीं ले तब तक भूमि रूपान्तरण [illegible] उक्त तथ्य को लेकर पटवारी हल्का ने पाबंद किया था। उक्त दस्तावेज प्र[illegible] ने सहवन से उसकी फोटो प्रति श्रीमानजी के स[illegible] पेश नहीं किया जा स[illegible] जो क्षमा योग्य है। अब श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थी दिनांक 28.2.2022 की मौका रिपोर्ट की फोटो कॉपी श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है व श्रीमान के समक्ष हल्का पटवारी के बयान दिनांक 4.4.2025 को लिये गये और प्रार्थी के वकील द्वारा जिरह की या उसकी फोटो प्रति श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:47:24 IST
Reason: SelfAttested

इसलिए उक्त तथ्य को ध्यान में रखकर रिव्यु प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना न्याय हित में आवश्यक है। अन्यथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किसी भी रूप में संभव नहीं हो सकेगी। प्रार्थी ने दिनांक 14.6.2022 की राजस्व टीम द्वारा सीमाज्ञान खसरा नंबर 892 कालाखो का सीमाज्ञान का मौका पर्चा की फोटो कॉपी श्रीमान के समक्ष पेश की गई है और उक्त रिपोर्ट को राजस्व टीम द्वारा तैयार की गई है। उक्त टीम में उपखंड अधिकारी दौसा, तहसीलदार दौसा, भू अभिलेख निरीक्षक व अन्य कई पटवारियों ने मौके पर जाकर खसरा नंबर 892 का सीमाज्ञान किया और उक्त राजस्व टीम ने प्रार्थी कल्लूराम मीना का कोई अतिक्रमण नही माना। हल्का पटवारी ने खसरा नंवर 892 में प्रार्थी का 0.01है. का अतिक्रमण बताया है वह झूंठा है और अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14.6.2022 की रिपोर्ट को आधार मानकर प्रार्थी का खसरा नंबर 892 में अतिक्रमण माना है जबकि राजस्व टीम द्वारा दिनांक 14.6.2022 सीमाज्ञान व मौका रिपोर्ट में कल्लूराम मीना का कोई कब्जा नहीं माना है। अधीनस्थ न्यायालय ने झूंठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया गया है जो कानूनी प्रक्रिया को ताक में रखकर झूंठे तथ्यों के आधार पर अतिक्रमण घोषित किया है जो विधि विरूद्ध है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर माननीय न्यायालय का आदेश दिनांक 7.5.2025 को निरस्त करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करके स्थगन आदेश पारित फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र विधिवत रूप से गुणावगुण के आधार पर पारित किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र रिव्यु एवं शपथपत्र का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी का मुख्य तर्क रिपोर्ट दिनांक 28.2.2022 पर आधारित है जो कि पूर्व में उनके द्वारा नहीं लगाया गया था। प्रार्थी द्वारा उक्त रिपोर्ट की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें पटवारी हल्का का कथन है कि प्रार्थी का खसरा नंबर 892 पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। दिनांक 4.4.2025 के बयान में पटवारी का कथन है कि तत्समय खसरा नंबर 892 गै0मु0रास्ते पर अतिक्रमण नहीं था। एवं जिरह दिनांक 24.4.2025 को पटवारी द्वारा यह कथन किया गया कि दिनांक 28.2.2022 तत्कालीन समय खसरा नंबर 892 में कल्लूराम मीना का कोई अतिक्रमण नहीं था। किन्तु यदि एक बार यह मान भी लिया जावे कि दिनांक 28.2.2022 को प्रार्थी का खसरा नंबर 892 पर अतिक्रमण नहीं था तो यह सिद्ध नहीं होता है कि वर्तमान में भी उक्त भूमि पर प्रार्थी का अतिक्रमण न हो। तहसीलदार भांडारेज के आदेश में राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 4.1.2024 का उल्लेख किया गया है जिसमें उक्त खसरा नंबर में पक्की दुकान बनाकर अतिक्रमण बताया गया है। [illegible] प्रतीत होता है कि तत्समय अतिक्रमण नहीं था तो वर्तमान [illegible] पर अतिक्रमण है। उक्त अतिक्रमण प्रथम दृष्टया गै0मु0 [illegible] के अधिकार को बाधित करता है। स्थगन आदेश पर [illegible] गुणावगुण के आधार पर किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:47:24 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

DK
जिला कलक्टर
दौसा